प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01676/2019-2020

दिनांक 28/02/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या R/MEE/05767/2019-2020

पत्रावली संख्या:52320-I दिनांक:1978-1979

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति, कंकरखेड़ा, जिला, मेरठ , 250001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 6751 दिनांक-19/02/1979 को दिनांक-19/02/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(DILEEP KUMAR GUPTA)
DA019A515850A2830762C302E344A248F77ACFAB
Date: 28/02/2020 3:30:18 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-28/02/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

<u>संशोधित स्मृति– पत्र</u>

1— संस्था का नाम : ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति।

2— संस्था का पता : 127/1, शिवलोक, कंकरखेडा, तहसील व जिला–मेरठ।

3— संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश आवश्यकतानुसार घटाया बढाया जा सकता है।

4— संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

1. बालक एवं बालिकाओं को उचित शिक्षा प्रदान करना।
2. विद्यालय का प्रबन्ध करना एवं विस्तार करने पर विचार करना।
3. कार्यक्षेत्र के निवासियों का नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर ऊँचा उठाना।
4. शिक्षा व चिकित्सा का प्रचार करना व महिला सुधार तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्षेत्र के निवासियों की सेवा करना।
5. प्रशिक्षण एवं तकनीकी शोध आदि का प्रचार करना।
6. निराश्रित बालक एवं बालिकाओं महिलाओं एवं वृद्धो आदि के लिए रख रखाव की व्यवस्था करना।
7. साधारणतः ऐसे कार्य जो रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा बीस के अन्तर्गत हो।
8. विद्यालय की सहायतार्थ संचय करना एवं विद्यालय की सम्पत्ति का क्रय–विक्रय करना।
9. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्राईमरी, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, डेन्टल कालिज, हॉस्टल, तकनीकी, गैर तकनीकी, व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्कूल, कालिजों, संस्थानों की स्थापना कर सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों से, अनुमति उपरान्त नियमानुसार संचालन करना।
10. निर्धन व अनाथ बालक/ बालिकाओं के सिलाई, कढाई, बुनाई जैसे अन्य हस्तशिल्प शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालन करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना।

Vaibhav Garg

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
कंकर खेडा, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ

25-6-1?

संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम : ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति।

2– संस्था का पता : 127/1, शिवलोक, कंकरखेडा, तहसील व जिला–मेरठ।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश आवश्यकतानुसार घटाया बढाया जा सकता है।

4– सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :– संस्था में निम्न दो प्रकार के सदस्य होगे।

1– आजीवन सदस्य :–

आजीवन सदस्य वे होगे जो संस्था को 10,000/– रू0 (दस हजार) एक मुश्त या इतने ही मूल्य की कोई सम्पत्ति दान स्वरूप देगें।

2– साधारण सदस्य :–

वे सदस्य होगे जो संस्था को 2500/– रू0 वार्षिक चन्दा के रूप में देगे।

5– सदस्यता की समाप्ति :– निम्नलिखित दशाओं में संस्था से सदस्यता समाप्त मानी जायेगी।

1– स्वयं से त्याग पत्र देने पर।

2– संस्था को हानि पहुंचाने पर।

3– लगातार बिना किसी कारण के तीन बैठको में उपस्थित न होने पर।

4– पागल या दिवालिया घोषित हो जाने पर।

5– किसी चारित्रिक दोष के कारण किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर आदि।

6– संस्था के अंग :– संस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए निम्न दो अंग होगे:–

1– साधारण सभा ।

2– प्रबन्धकारिणी समिति ।

7– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठक, सूचना कोरम तथा कार्यकाल :–

प्रबन्धकारिणी समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों सहित निम्नलिखित संख्या होगी :–

Vaibhav Garg

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
कंकर खेडा, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/...
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

25.6.12

1– अध्यक्ष : 1

2– प्रबन्धक : 1

3– कोषाध्यक्ष : 1

4– शेष सदस्य : 6 कुल योग–09

1– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठके वर्ष में दो होगी जो कि प्रत्येक बैठक कम से कम हर छः माह बाद होगी।

2– बैठक की सूचना सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

3– बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा।

4– प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा के द्वारा निश्चित किए गये कार्यो का सम्पादन करेगी तथा वार्षिक बजट बनाकर तैयार करेगी।

5– संस्था के हित में नवीन योजनाये बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत कर उसे कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगी।

6– संस्था के प्रबन्धक से सम्बन्धित सभी प्रकार का उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी समिति पर होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल :–

पांच वर्ष का होगा बाद इसके पुनः चुनाव सम्पन्न कराये जायेगें।

8– रिक्त स्थान की पूर्ति :–

आगामी चुनाव से पूर्व ही यदि कोई स्थान प्रबन्धकारिणी समिति में रिक्त होता है तो अध्यक्ष बहुमत के आधार पर साधारण सभा के सदस्यो में से शेष अवधि के लिए पूर्ति कर लेगें।

Vaibhav Garg
प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
कंकर खेड़ा, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / लेखाकार
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

25-6-12

9— साधारण सभा का गठन, बैठक, सूचना, कोरम तथा कार्य :—

1— उपरोक्त वर्णित संस्था के सदस्यों अर्थात साधारण सदस्य, आजीवन सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

2— साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक होगी जिसे वार्षिक अधिवेशन कहा जायेगा।

3— बैठक की सूचना सभी सदस्यों को 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

4— साधारण सभा प्रबन्धकारिणी का चयन करेगी तथा प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत आय–व्यय बजट पर अपना अनुमोदन प्रदान करेगी।

5— संस्था से सम्बन्धित सभी प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श साधारण सभा में किया जायेगा।

10— पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :—

अध्यक्ष :—

1— संस्था की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठक में अनुशासन बनाये रखना और किसी विषय पर सामान मत आने पर अपना विशेष मत का प्रयोग कर उस विवाद का निपटारा करना।

प्रबन्धक :—

1— प्रबन्धक संस्था के प्रबन्ध तंत्र में प्रधान होगा तथा संस्था का सभी प्रकार का प्रबन्धकीय उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

2— बैठकों की सूचना देना तथा बैठको का आयोजन करना तथा कार्यवाही लिखकर सुरक्षित रखना तथा संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना आदि प्रबन्धक का ही कार्य होगा।

Vaibhav Garg
प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
शंकर नगर, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / ...
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

25-6-18

3– संस्था के लिए संस्था हित में वे सभी कार्य करना तथा सम्पादित करना जिनसे संस्था उत्तरोत्तर तरक्की करें।

4– संस्था के व्यय सम्बन्धी बिल्स बाउचर्स आदि पर हस्ताक्षर करना तथा भुगतान का आदेश देना। आवश्यकतानुसार बैठको का आयोजन प्रबन्धकारिणी समिति के परामर्श से करेगा।

5– संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, अवकाश स्वीकृति आदि का कार्य प्रबन्धक के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा।

कोषाध्यक्ष :–

संस्था के आय व्यय सम्बन्धित अभिलेख को लिख पढकर तैयार करना तथा प्रबन्धक के साथ मिलकर वार्षिक आय व्यय बजट तैयार करना आदि और प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिल्स, बाउचर्स का भुगतान करना।

11– नियम संशोधन :–

संस्था की नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्तन साधारण सभा के बहुमत पर तथा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा–12 के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

12– अदालती कार्यवाही :–

पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी तथा अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व प्रबन्धक द्वारा सम्पन्न होगा।

13– स्थगित बैठक :–

कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः बुलाये जाने पर कोरम का प्रबन्धक न होगा किन्तु विषय पूर्ववत होगे तो विचार कर लिया जायेगा।

Vaibhav Garg
प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
कंकर खेड़ा, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।
25-6-12

14— आपातकालीन बैठक :—

आवश्यकता पड़ने पर क्रमशः साधारण सभा की बैठक 3 नि पूर्व और प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक 24 घंटे पूर्व बुलायी जा सकेगी।

15— संस्था का वर्ष :—

वित्तीय वर्ष होगा।

16— संस्था का कोष :—

किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका उदाहरण संस्था हित में प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से होगा तथा व्यय किया जायेगा।

17— संस्था के आय के साधन :—

दान, चन्दा, भेंट, ऋण, अनुदान आदि होंगे।

18— आडिट :—

अन्त में प्रबन्धकारिणी द्वारा किसी योग्य आडिटर की नियुक्ति कर संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी अभिलेखो की जांच करायी जायेगी जिसकी आख्या प्रबन्धक माध्यम से प्रस्तुत होगी।

19— संस्था में रखे जाने वाले अभिलेख :—

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, पास बुक, चैक बुक, रसीद बुक, डाक पंजिका, कर्मचारी रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि।

20— विघटन :—

यदि संस्था किसी समय अपना कार्य क़रना बन्द करती है तो ऐसी कार्यवाही साधारण सभा के बहुमत से तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

Vaibhav Garg
प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
कंकर खेड़ा, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।
25-6-11

21— प्रतिबन्धों की बाध्यता :—

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 106 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक— 25-6-08

सत्यप्रतिलिपि।

Vaibhav Garg

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
कंकर खेड़ा, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स, मेरठ।
25-6-08

ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति

कंकरखेडा, जिला– मेरठ।

प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष :– 2017–2018

क्र0 सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री धर्मवीर सिंह	127/1, शिवलोक, कंकरखेडा, मेरठ।	अध्यक्ष	व्यापार
2.	श्री वैभव गर्ग पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार	127/1, शिवलोक, कंकरखेडा, मेरठ।	प्रबन्धक	व्यापार
3.	श्रीमती अवनिता गर्ग पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार	127/1, शिवलोक, कंकरखेडा, मेरठ।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
4.	प्रियंका पुत्री श्री विरेन्द्र कुमार	127/1, शिवलोक, कंकरखेडा, मेरठ।	सदस्य	नौकरी
5.	श्रीमती मन्जू कौशिक पत्नी श्री श्रीदत्त शर्मा	सुभाषपुरी, कंकरखेडा, मेरठ।	सदस्य	रिटायर्ड
6.	श्री राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र ठा0 चमन सिंह	100/1, साकेत, मेरठ।	सदस्य	रिटायर्ड
7.	श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री रमेश चन्द शर्मा	न्यू आर्यनगर, मेरठ।	सदस्य	रिटायर्ड
8.	श्री नरेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री दीपचन्द	इन्द्रानगर, मेरठ।	सदस्य	व्यापार
9.	श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री नत्थी प्रसाद	न्यू आर्यनगर, मेरठ।	सदस्य	व्यापार

यह प्रपत्र सो0 रजि0 अधि0 ... के अन्तर्गत पंजीकृत ... पत्रावली पर उपलब्ध है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/लेखक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

20-7-17

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार समिति
कंकर खेडा, मेरठ

R.C Sharma